

न्यायालयः— मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.)

क्रमांक १३ / २५

रतलाम, दिनांक २४.१.२५

रिमांड डियूटी आदेश

इस आदेश द्वारा माह **फरवरी—2025** के अवकाश के दिनों में रिमांड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर ३:०० बजे से कार्य समाप्ति तक रिमांड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य (न्यायिक) सम्पन्न करेंगे:—

रतलाम:—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्रीमती मुग्धा कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	23
2	श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	26
3	श्री अरुण ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	2
4	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	1
5	सुश्री सुश्री प्रगति आसाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	3
6	श्री मंगल परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	9
7	सुश्री वैशाली चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	15
8	सुश्री रूपाली बिरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	16

जावरा:—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्री अरविंद कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	9
2	श्री एन.एस. ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	26
3	श्रीमती हर्षिता पिपेरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	23
4	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	2
5	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	1
6	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	15
7	सुश्री नेहा सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	3
8	सुश्री शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	16

सैलाना:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्रीमती नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	3, 9, 23
2	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	1, 2, 26
3	श्री एकाग्र चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	15, 16

आलोट:-

क्र	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	1, 2, 3
2	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	9, 15, 16
3	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	23, 26

किसी आकस्मिक परिस्थितियों में निम्न आवश्यक नोट अनुसार रिमांड ड्यूटी संपादित की जावे:-

- 1— उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त किसी अन्य कारणवश कोई अवकाश घोषित होता है तो, जिला न्यायालय, रतलाम में सुश्री सपना कनोडिया व इनकी अनुपस्थिति में श्री मंगल परमार आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील जावरा में श्री अंकित भुजंग व इनकी अनुपस्थिति में श्री दीपक कनेरिया आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय आलोट में श्री गवेन्द्र सिसोदिया व इनकी अनुपस्थिति में सुश्री मधुबाला सोलंकी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय सैलाना में श्री अभिषेक सोनी व इनकी अनुपस्थिति में श्री एकाग्र चतुर्वेदी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे।
- 2— रिमाण्ड ड्यूटी नियत होने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होने की दशा में उस स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे। यदि नवीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब नियत रिमाण्ड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित की जायेगी।
- 3— किशोर/बाल अपचारी के संबंध में रिमाण्ड हेतु आदेश किशोर न्याय बोर्ड, रतलाम के द्वारा प्रदान दिया जावे।
- 4— रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने—अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेंगे।
- 5— यदि किसी अपरिहार्य एवं युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक न्यायालयीन कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रहें तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को न्यायालयीन कार्य सम्पादन करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम से पूर्व अनुमति लेने के उपरांत और लिखित सहमति प्राप्त कर संपादित करेंगे। ऐसी स्थिति में लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व रहेगा कि वह इस तरह आपसी समायोजन से नियत दिनोंके न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे, ऐसे समायोजन अनुसार अवकाश के दिन आकस्मिक रिमाण्ड एवं आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादन करने के लिए अधिकृत माने जावेंगे।

- 6— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कंडिका कं. 1 में दर्शित सहमति प्राप्त करने से अन्यथा (जैसे आकस्मिक रूप से स्वारश्य खराब होने/मेडिकल या अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने/क्वारेंटाइन रहने) अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थता दर्शित की जाती है, तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके चार्ज भारित न्यायालय को सूचना दिये जाने पर रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु अनुपरिधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन किया जावेगा।



(मंगल मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम

पृ. क्रमांक- ४५ / 25

रतलाम, दिनांक- २८.१.२५

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् नजारत प्रभारी, रतलाम/ जावरा/ आलोट/ सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3.. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, रतलाम/ सैलाना/ आलोट/ जावरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, रतलाम/ सैलाना/ आलोट/ जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम/ सैलाना/ आलोट/ जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(मंयक मोटी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

रतलाम,(म.प्र.)